

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./ 5537

रायपुर, दिनांक 24/8/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध/व.सं.अ)

अटल नगर, रायपुर(छ.ग.)

विषय:— Diversion of forest land non-forest Purpose under Forest Conservation Act, 1980

Proposed for Rehabilitation and Upgrading of Panduka, Jatamai Ghatarani, Gaydabri, Madeli, Mudagaon Road (Two Lane Public Road) Area-24.569 ha.

पंजीयन क्रमांक—FP/CG/ROAD/35248/2018

संदर्भ:— वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद का पत्र क्रमांक/मा.चि./ भू-प्रबंध /390 गरियाबंद दिनांक 25.04.2020 एवं पुनरीक्षित प्रस्ताव दि. 29.07.2020

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार वन मंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:—

बि. क्रं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र । पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मड़ेली, मुड़ागाँव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य अंतर्गत रकबा 24.569 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु आवेदक विभाग परियोजना प्रबंधक ए.डी.बी. छोगा राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा माँग की गई है	01
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) । टीप :- रजिस्ट्रेशन कोड — FP/CG/ROAD/35248/2018 पंजीयन प्रोसेसिंग शुल्क 24000/- की राशि डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 764832 दिनांक 09.08.2018 रुपये वसूल की जाकर कोषालय के चालान क्रमांक 9 दिनांक 03.10. 2018 को पी.डी. खाता में जमा कर दिया गया है ।	02
3	वनक्षेत्र का विवरण । गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत पाण्डुका वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 76,119,118,117,114,116, 115, 113,111,109,90 एवं 94 में रकबा 19.391 हे. एवं राजस्व वन भूमि में रकबा — 5.178 हे. कुल रकबा 24.569 हे. प्रस्तावित है ।	03—04
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण ।	05

	शासकीय/अशासकीय राजस्व भूमि रकबा 29.051 हेक्ट. ।	
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर । वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर संलग्न है ।	06—11
6	वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप । वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है ।	12—14
7	प्रपत्र — 4 में प्रस्ताव । पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मड़ेली, मुड़ागोंव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य अंतर्गत रकबा 24.569 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है । कार्य की लागत 149.31 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है ।	15—22
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप । परियोजना के संबंध में संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।	23—29
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र । आवेदक विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है ।	30
10	न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र । आवेदक विभाग द्वारा न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है ।	31
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र । आवश्यकता नहीं है । भारत का राजपत्र असाधारण भाग — II खण्ड 3, उपखण्ड (II) संख्या 1067 नई दिल्ली बृहस्पतिवार सतिम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928 की छायाप्रति संलग्न है ।	32—50
12	वृक्ष विदोहन वितरण (प्रपत्र —अ एवं ब में) । वृक्ष संख्या — 3333 विदोहन किया जाना प्रस्तावित है ।	51—58
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस । कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस 1:4.39 है ।	59—65
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) — राजस्व वन क्षेत्र । क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु नांरगी वन क्षेत्र चयनित किया गया है ।	66
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा । आवश्यकता नहीं है ।	67
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना । रकबा 50.000 हे. में प्रति हे. 798897.00 की दर से सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ।	68—94
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र । क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया ।	95—96

18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण । -----00 निरंक 00 -----	97
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण । ----- 00 निरंक 00 -----	98
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही । ----- 00 निरंक 00 -----	99
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र । कलेक्टर गरियाबंद से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र दिया गया है ।	100—101
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान । आवश्यकता नहीं है ।	102
23	रिक्लेमेशन प्लान । आवश्यकता नहीं है ।	103
24	IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) । आवश्यकता नहीं है ।	104
25	व्यवस्थापन प्लान । आवश्यकता नहीं है ।	105
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) । <u>भाग -1</u> :- छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना द्वारा ए.डी.बी. लोन 3 के अंतर्गत पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मड़ेली, मुड़ागोंव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य अंतर्गत रकबा 24.569 हेक्टेयर का 2 लेन में चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित है । इस हेतु गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत रकबा 24.569 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है । जिसके व्यपर्वतन हेतु माँग की गई है । <u>भाग -2</u> :- ए.डी.बी. लोन 3 के अंतर्गत पाण्डुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मड़ेली, मुड़ागोंव मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य अंतर्गत रकबा 24.569 हेक्टेयर मार्ग पुर्ननिर्माण एवं उन्नयन कार्य गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत संरक्षित वन रकबा 9.788 हे. आरक्षित वन रकबा 9.603 हे. , राजस्व वनभूमि रकबा 5.178 हे. अर्थात् कुल रकबा 24.569 हे. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित है ।	106—120
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र । आवेदित स्थल में ऐतिहासिक स्थल नहीं आता है ।	121—122
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र । ग्राम पंचायत - मड़ेली, कुरुद, गाड़ाघाट, तौरंगा, गायडबरी, पीपरछेड़ी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है ।	123—129
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) । गरियाबंद जिले के अंतर्गत गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद का कुल अधिसूचित वन	130

	भूमि रकबा 1951.860 हे. है।	
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में। वन संरक्षण अधिनियम – 1980 के तहत गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद के अंतर्गत जिले के स्वीकृति प्रकरणों में 12 प्रकरण रकबा 241.075 हे. वनभूमि प्रभावित हुई।	131
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में। 1. गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद अंतर्गत जिले के स्वीकृत 01 प्रकरण रकबा 25.000 हे. वनभूमि व्यपवर्तित हुई।	132
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी करीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी। ----- 00 निरंक 00 -----	133
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु, प्रस्तावित स्थलों का। ----- 00 निरंक 00 -----	134
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर गरियाबंद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।	135—176
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र। गैर वानिकी उपयोग हेतु कलेक्टर गरियाबंद द्वारा राजस्व भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।	177—179
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र। आवेदक विभाग द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है।	180—181
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन से अनुमति पश्चात आवेदक विभाग से राशि प्राप्त कर कैम्पा में जमा किया जायेगा।	182
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it मार्ग निर्माण से भू-क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।	183
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। परियोजना में किसी भी प्रकार की कार्य प्रारंभ ना करने हेतु आवेदक विभाग द्वारा वचन पत्र दिया गया।	184
40	Diversion of large (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980	185

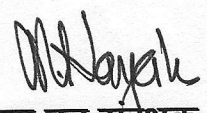
	आवश्यकता नहीं है।	
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण टीप :- रजिस्ट्रेशन कोड – FP/CG/ROAD/35248/2018 पंजीयन प्रोसेसिंग शुल्क 24000/- की राशि डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 764832 दिनांक 09.08.2018 रुपये वसूल की जाकर कोषालय के चालान क्रमांक 9 दिनांक 03.10.2018 को पी.डी. खाता में जमा कर दिया गया है।	186—188
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत। आवश्यकता नहीं है।	189
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण। आवश्यकता नहीं है।	190
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण। ————00 निरंक 00————	191

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबंध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण अनुशंसा सहित आपकी ओर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:- प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

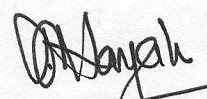
आवेदित स्थल एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण
स्थल का DGPS सर्वेक्षण रिपोर्ट 03 प्रतियों
में।


मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 24/8/2020

पृ.क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./5538

प्रतिलिपि :- 1. वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित।

Received
Shankh
124/08/2020


मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हां हो तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।

2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।

Recommended

दिनांक :-

स्थान :- रायपुर

M. N. Singh

20/08

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

रायपुर सरकारी मोहर (उ.ग.)